न्यायालय, सब जज–तृतीय डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–66–डी./2015
सी.आई.एस.–166/2015

18.03.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक–24.08.2023 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सी0पी0सी0 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादी ने मुदालेह नं0–1 के मुदालेह नं0–2 के पक्ष में लिखे गये कबाला दिनांक–20.05.2023 को रद्द घोषित करने हेतू दाखिल किया गया है। विवादग्रस्त भूमि मुदई को हिस्से में मिली एराजी है। मुदालेह नं0–8 वाल्मिकी सिंह पिता स्व0 बुद्धु सिंह ने दिनांक–30.06.2023 को मुकदमा के दौरान इंदू देवी पति श्री सतीश कुमार सिंह साकिन–कसिया, थाना–डमुमरांव, जिला–बक्सर को कबाला तहरीर कर दिये हैं। ऐसी स्थिति में इंदू देवी पति सतीश कुमार सिंह इस मुकदमा के जरूरी फरीक हो जाते हैं तथा मल्टीपिलिसिटी ऑफ दी सूट से बचने के लिए अर्जी संशोधन करना निहायत जरूरी हो गया है। अर्जी संशोधन सब्सिक्वेंट इभेंट है तथा अर्जी संशोधन महज फार्मल नेचर का है, इससे मुकदमे का स्वरूव नहीं बदल रहा है वो न कोई पक्षकार प्रिजूडिस ही हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि आवेदन में दिये गये विभिन्न पाराओं में अर्जी में सुधार एवं जोड़ने हेतू तथ्य दिये गये हैं जिसे स्वीकृत करते हुए मुदालेह नं0–9 को पक्षकार बनाने का आदेश देने हेतू प्रार्थना करते है।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी को प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी ने मुदालेह नं0–1 के मुदालेह नं0–2 के पक्ष में लिखे गये कबाला दिनांक–20.05.2023 को रद्द घोषित करने हेतू दाखिल किया गया है। विवादग्रस्त भूमि मुदई को हिस्से में मिली एराजी है। मुदालेह नं0–8 वाल्मिकी सिंह ने दिनांक–30.06.2023 को मुकदमा के दौरान इंदू देवी को कबाला तहरीर कर दिये हैं। वादी के द्वारा जो भी संशोधन आवेदन लाया गया है उससे वाद की प्रकृति एवं स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है

तथा वाद के नेचर एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.08.2023 को 1000/–रू0 खर्चा के साथ जो प्रतिवादी पक्ष को देय होगा स्वीकृत किया जाता है। वादी समय–सीमा के अंदर कार्यालय लिपिक के उपस्थिति में अर्जी में आवश्यक संशोधन करे।

यदि प्रतिवादी चाहे हो इस संशोधन के आलोक में अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिली कर सकते हैं।

दिनांक– ..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

(रघुबीर प्रसाद)
सब जज–तृतीय